संख्या-428/2022/2270/001-232 budget 2021 TC

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 12 जुलाई 2022

विषय- पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक /पौराणिक/धार्मिक स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं के लिये द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4378/6-1-1/(मूति निर्माण)/2021-22 दिनांक 17 नवम्बर 2021 तथा शासनादेश सं0-018/2022/आई/130245/2022/41-1002(001)/180/2021 दिनांक 07 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करे।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक /पौराणिक/धार्मिक स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं के परियोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था राज्य ललित कला अकादमी (संस्कृति विभाग) द्वारा गठित किये गये आगणनों के आधार पर निम्नांकित विवरणानुसार रू0-45.65 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 12.75 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कतिपय शर्तों के अधीन उक्त धनराशि को महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर शासनादेश सं0-018/2022/आई/130245/2022/41-1002(001)/180/2021 दिनांक 07 जनवरी 2022 द्वारा रखा गया था:-

क्रमांक	प्रतिमा का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	5
1	जनपद संत कबीरनगर के हरिहरपुर में महाकवि रंगपाल जी की 03 फिट ऊंची आवक्ष ब्रान्ज प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-1.50 लाख	रू0-00.75 लाख
2	जनपद देवरिया में शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी जी की 06 फीट ऊंची आदम कद ब्रान्ज प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-4.25 लाख	रू0-2.00 लाख
3	जनपद चित्रकूट के राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस रचते हुयी बैठी हुयी 12.5 फीट की ऊंची ब्रान्ज की प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-19.95 लाख	रू0-5.00 लाख
4	जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में तेरहमोरी बांध के निकट उद्यान विभाग की भूमि पर महाराजा सूरजमल स्मारक पार्क में महाराजा सूरजमल की अश्वारोही 12.5 फीट की ऊंची ब्रान्ज की प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-19.95 लाख	रू0-5.00 लाख
	.**कुल योग**	रू0-45.65 लाख	. **रू0-12.75 लाख**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार रू0-32.90 लाख (रू0- बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर उक्त धनराशि रखे जाने का आदेश श्री राज्यपाल इस प्रतिबंध के अधीन प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर से विद्यमान वित्तीय नियमों/व्यवस्थाओं के अधीन वास्तविक लागत के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी और यह पुष्टि भी कर ली जायेगी कि जिन परियोजनाओं के अन्तर्गत् मूर्ति निर्माण के कार्यों को सम्मिलित किया गया है उनमें मूर्ति की लागत सम्मिलित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त यदि कार्यों पर कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जायेगा :-

क्रमांक	प्रतिमा का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त में स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति	द्वितीय किश्त के रूप में प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	जनपद संत कबीरनगर के हरिहरपुर में महाकवि रंगपाल जी की 03 फिट ऊंची आवक्ष ब्रान्ज प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-1.50 लाख	रू0-00.75 लाख	रू0-00.75 लाख
2	जनपद देवरिया में शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी जी की 06 फीट ऊंची आदमकद ब्रान्ज प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-4.25 लाख	रू0-2.00 लाख	रू0-2.25 लाख
3	जनपद चित्रकूट के राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस रचते हुयी बैठी हुयी 12.5 फीट की ऊंची ब्रान्ज की प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-19.95 लाख	रू0-5.00 लाख	रू0-14.95 लाख
4	जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में तेरहमोरी बांध के निकट उद्यान विभाग की भूमि पर महाराजा सूरजमल स्मारक पार्क में महाराजा सूरजमल की अश्वारोही 12.5 फीट की ऊंची ब्रान्ज की प्रतिमा की स्थापना हेतु मूर्ति का निर्माण	रू0-19.95 लाख	रू0-5.00 लाख	रू0-14.95 लाख
	.कुल योग	रू0-45.65 लाख	**. रू0-12.75 लाख**	**रू0 32.90 लाख**

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित/अवमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु दोहरा आहरण न हो तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबंध में शासनादेश सं0-018/2022/आई/130245/2022/41-1002(001)/180/2021 दिनांक 07 जनवरी 2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धो का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रायोजना हेतु निविदा की प्रक्रिया उपरान्त अनुमन्य की गई निविदा लागत के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या:13/2022/बी-1-454/ दस-2022- 231/2022 दिनांक- 07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय और **प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता माइनिंग विभाग द्वारा जांची जायेगी।** स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,90,000 (रुपये बत्तीस लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- संबंधित जिलाधिकारीगण ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- निदेशक ,संस्कृति विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
6- सचिव, राज्य ललित कला अकादमी ,उ0प्र0, लखनऊ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग ,उ0प्र0 शासन।
8- श्री दिनेश कुमार , उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय ,लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय , लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।